

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/1773/

जबलपुर, दिनांक 21/04/2016

निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों को सहायक ग्रेड-तीन के पद पर वेतन बैंड-1 में वेतनमान रूपये 5200- 20200 + ग्रेड पे रू. 1900 में नियमानुसार समय-समय पर देय भत्तों सहित परीक्षा पर 2 वर्ष के लिये निम्नांकित शर्तों के अधीन उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश में उनके नाम के सम्बन्ध दर्शाई गई पदस्थापना पर अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है :-

क्र.	नाम	पदस्थापना का स्थान
1.	श्री कुलदीप कुमार पाठक आत्मज श्री प्रमोद कुमार पाठक	मुख्यपीठ जबलपुर
2.	प्रिया ठाकुर आत्मजा श्री शक्ति सिंह ठाकुर	खंडपीठ इंदौर
3.	श्री दिलीप कुमार अवस्थी आत्मज श्री दुर्गा प्रसाद अवस्थी	खंडपीठ ग्वालियर
4.	श्री प्रकाश शर्मा आत्मज श्री रमाकान्त शर्मा	मुख्यपीठ जबलपुर
5.	श्रीमती रूचि वर्मा पति श्री इन्दल सिंह	खंडपीठ इंदौर
6.	श्री शुभाशु भांगरे आत्मज श्री ओमकार प्रसाद भांगरे	खंडपीठ ग्वालियर
7.	श्री अंकुर जायसवाल आत्मज श्री अशोक कुमार जायसवाल	मुख्यपीठ जबलपुर
8.	कु. विभा पचौरी आत्मजा श्री पुरुषोत्तम पचौरी	खंडपीठ इंदौर
9.	श्री पवन कुमार मिश्रा आत्मज श्री रामानुज मिश्रा	खंडपीठ ग्वालियर
10.	कु. पूनम लोन्डे आत्मजा श्री दिलीप लोन्डे	मुख्यपीठ जबलपुर
11.	श्री निशांत नागर आत्मज श्री राकेश चंद्र नागर	खंडपीठ इंदौर
12.	कु. उर्वशी शर्मा आत्मजा श्री के.के. शर्मा	खंडपीठ ग्वालियर
13.	श्री राहुल सेन आत्मज श्री ओम प्रकाश नापित	मुख्यपीठ जबलपुर
14.	श्री उमाकांत राजपूत आत्मज स्व. श्री रतन सिंह राजपूत	खंडपीठ इंदौर
15.	श्री शशांक तिवारी आत्मज श्री राज कुमार तिवारी	खंडपीठ ग्वालियर
16.	कु. ममता कुशवाहा आत्मजा श्री भगवान दीन कुशवाहा	मुख्यपीठ जबलपुर
17.	श्री राम कुमार कोष्टा आत्मज स्व. श्री राम प्रसाद कोष्टा	खंडपीठ इंदौर
18.	श्री कपिल कोष्टी आत्मज श्री रमेश प्रसाद कोष्टी	खंडपीठ ग्वालियर
19.	श्री हरि सिंह आत्मज श्री उदयसिंह	मुख्यपीठ जबलपुर
20.	श्री राजेश पटेल आत्मज श्री दामोदर प्रसाद पटेल	खंडपीठ इंदौर
21.	श्री अभय कुमार पाठक आत्मज श्री ओमप्रकाश पाठक	खंडपीठ ग्वालियर
22.	श्री कैलाश मरावी आत्मज श्री महासिंह मरावी	खंडपीठ इंदौर
23.	श्री राजेश जाटव आत्मज श्री दिलीप	मुख्यपीठ जबलपुर
24.	श्री विनोद कुमार अहिरवाल आत्मज श्री भूपत अहिरवाल	खंडपीठ ग्वालियर
25.	श्री दीपक बगानिया आत्मज श्री रामचन्द्र बगानिया	खंडपीठ इंदौर
26.	श्री शरद चंद डेहरिया आत्मज श्री गोप चंद डेहरिया	मुख्यपीठ जबलपुर
27.	श्री विकास लकड़ा आत्मज स्व. श्री बेन्जामिन लकड़ा	खंडपीठ ग्वालियर
28.	श्रीमती स्वाती गोन्नाडे पिता श्री रमेश गोन्नाडे	खंडपीठ इंदौर
29.	श्रीमती नेमा कोल पति श्री राजेश कोल	मुख्यपीठ जबलपुर
30.	श्री मुकेश सोलंकी आत्मज श्री मांगीलाल सोलंकी	खंडपीठ ग्वालियर
31.	श्री अवधेश सिंह आत्मज श्री चन्द्र बदन सिंह	खंडपीठ इंदौर
32.	श्रीमती पूजा राऊत पति श्री मनोज राऊत	मुख्यपीठ जबलपुर

1. यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।

2. यह कि चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र दो प्रतियों में एवं पुलिस वैरिफिकेशन हेतु अनुप्रमाणन फार्म तीन प्रतियों में तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पुलिस वैरिफिकेशन हेतु अनुप्रमाणन फार्म उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड है।
3. यह कि चयनित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के अंदर रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर या जिस खण्डपीठ में पदस्थापना की गई है, के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करें कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है, यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है। यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियाँ दी हैं एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं। यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।
4. यह कि, वे समस्त दस्तावेज जिनकी प्रतियां पूर्व में प्रस्तुत की गई थी की मूल प्रतियों को लेकर उपस्थित होंगे। यदि पदभार ग्रहण करते समय दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया गया कि अभ्यर्थी अनिवार्य योग्यताएं धारण नहीं करते हैं तो यह आदेश उसके संबंध में तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा।
5. यह कि, उन्हें मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार भोपाल, दिनांक 13-04-2005 के अनुसार पारिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी।
6. यह कि, चयनित अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वस्थता परीक्षण का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
7. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के कोई अग्रिम शैक्षणिक अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। चयनित अभ्यर्थी को स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
8. यह कि, आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी भी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
9. यह कि, उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी और यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।

10. यह कि, किसी अन्य विभाग में नौकरी के लिए आवेदन देने के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
11. यह कि, आरक्षित पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को उनके द्वारा जाति संबंधी प्रस्तुत प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है, उसका सत्यापन कराया जावेगा। यदि सत्यापन उपरांत प्रमाण-पत्र फर्जी या कूटरचित पाये गये अथवा यह पाया गया कि उक्त प्रमाण-पत्र के आधार पर उन्हें वर्ग विशेष के लिये आरक्षित पद पर नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं था तो नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
12. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 15 दिवस अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त समझी जावेगी।
13. अभ्यर्थी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय-समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे वे भी उसे मान्य होंगे। अभ्यर्थी से इन सभी शर्तों में लिखित स्वीकृति जो कि दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हों, प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश प्रभावशील माना जावेगा।
14. यह कि, चयनित अभ्यर्थी पाँच वर्ष तक स्थानांतरण के संबंध में कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा किन्तु विशेष परिस्थितियों में माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा निर्धारित अवधि के पूर्व स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्रों पर विचार किया जा सकेगा।
15. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यता का प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार

सही/-

(मनोहर ममतानी)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/1774 /


जबलपुर, दिनांक 21 /04/2016

प्रतिलिपि :-

1. प्रिन्सीपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खंडपीठ इंदौर/खंडपीठ ग्वालियर (म.प्र.), की ओर इस आशय के साथ संप्रेषित कि वे उनकी खंडपीठ में नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उपरिवर्णित शर्तों का पालन अभ्यर्थी द्वारा कर लिया गया है। अभ्यर्थी की नियुक्ति के पश्चात् पुलिस प्रमाणीकरण हेतु निर्धारित अनुप्रमाणन फार्म अभ्यर्थी से प्राप्त कर, संबंधित जिले से अभ्यर्थी का गोपनीय तौर पर चरित्र एवं पूर्व वृत्त का सत्यापन एवं जाँच कराने हेतु संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को प्रेषित कर सत्यापन पश्चात् सूचना इस रजिस्ट्री को भिजवाने हेतु तथा 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों की सूचना तत्काल इस रजिस्ट्री को भिजवाने हेतु,
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2/डी.ई./ई./व्ही.एल./ (निरी. एवं सतर्कता) /एकजाम एंड लेबर ज्यूडिशियरी/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र, जबलपुर,

3. रजिस्ट्रार (आई.टी.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु
4. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल की ओर पदों को डी.डी.ओ.-रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर, डी.डी.ओ. क्रमांक 1802103001, खण्डपीठ इन्दौर के डी.डी.ओ. क्रमांक 1702103001 एवं खण्डपीठ ग्वालियर के डी.डी.ओ. क्रमांक 1412103001 एम्पलाई डेटाबेस में प्रविष्टि कराने हेतु अग्रेपित,
5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर,
6. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
8. डिप्टी रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर,
10. असिस्टेंट रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. अनुभाग अधिकारी स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
12. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
13. प्रिन्सीपल रजिस्ट्रार, न्यायिक/सतर्कता/आई. एल. आर एवं एकजाम महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
14. सहायक स्थापना/अवकाश/लेखा/बजट/पेंशन/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/डी. पी.एफ., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
15. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर,
16. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
17. श्री कुलदीप कुमार पाठक आत्मज श्री प्रमोद कुमार पाठक, आर्य समाज मंदिर, कटरा बाजार, सागर (म.प्र.)-470002
18. प्रिया ठाकुर आत्मजा श्री शक्ति सिंह ठाकुर, मं. नं. 410, प्रिया किराना दुकान, गणेश मंदिर के पास, नदी तट किसानी वार्ड, नरसिंहपुर, (म.प्र.)-487001
19. श्री दिलीप कुमार अवस्थी आत्मज श्री दुर्गा प्रसाद अवस्थी, म. नं. 810, जवाहर नगर, आधारताल, जबलपुर(म.प्र.)-482004,
20. श्री प्रकाश शर्मा आत्मज श्री रमाकान्त शर्मा, म. नं. 203, जागृति नगर, म.प्र.रा.प.नि. वर्कशॉप के पास, करमेता, जबलपुर(म.प्र.),
21. श्रीमती रूचि वर्मा पति श्री इन्दल सिंह, ग्राम-निन्हौरा, डाकखाना-बुधौली, जिला-कानपुर देहात(उ.प्र.)-209115,
22. श्री शुभांशु भांगरे आत्मज श्री ओमकार प्रसाद भांगरे, श्री राम वार्ड, कबीर चौक, पुत्री शाला के पास, मंडला(म.प्र.)-481661,
23. श्री अंकुर जायसवाल आत्मज श्री अशोक कुमार जायसवाल, स्वामी विवेकानंद कालोनी, इंग्लिशपुरा, सीहोर(म.प्र.)-466001,
24. कु. विभा पचौरी आत्मजा श्री पुरुषोत्तम पचौरी, म. नं. 2012/1, भोले कुटी के पीछे, शक्तिनगर, गुप्तेश्वर, जबलपुर(म.प्र.)-482001,
25. श्री पवन कुमार मिश्रा आत्मज श्री रामानुज मिश्रा, सी-19, सी ब्लॉक, आर.के. पुरी, थाटीपुर, ग्वालियर(म.प्र.)-474011,
26. कु. पूनम लोन्डे आत्मजा श्री दिलीप लोन्डे, 371/3, "श्री सदगुरु कृपा", स्टेट बैंक कालोनी(सिंगल), लहरी बाबा आश्रम रोड, लक्ष्मीपुर, जबलपुर(म.प्र.)-482002
27. श्री निशांत नागर आत्मज श्री राकेश चंद्र नागर, वाय-2, एक्स वाय जेड ब्लॉक, बिरलाग्राम, नागदा, जिला-उज्जैन(म.प्र.)-456331,
28. कु. उर्वशी शर्मा आत्मजा श्री के.के. शर्मा, ओम कॉम्प्लेक्स के सामने, के.के. शर्मा वाली गली, पुरानी सब्जी मण्डी, दन्तपुरा, मुरैना(म.प्र.)-476001,
29. श्री राहुल सेन आत्मज श्री ओम प्रकाश नापित, म. नं. 03/211, अतूत की गली, ताल दरवाजा, टीकमगढ़(म.प्र.)-472001,

30. श्री उमाकांत राजपूत आत्मज स्व. श्री रतन सिंह राजपूत, सी.आर. मॉडल स्कूल के पास, नारयावली नया वार्ड, सागर(म.प्र.)-470002,
31. श्री शशांक तिवारी आत्मज श्री राज कुमार तिवारी, म. नं. 55, पूजा श्री नगर, सी.टी. ओ., बैरागढ़, भोपाल(म.प्र.)-462030,
32. कु. ममता कुशवाहा आत्मजा श्री भगवान दीन कुशवाहा, म. नं. 12/142, वंदना विकास विद्या मंदिर स्कूल के सामने, बजरंग नगर, रीवा(म.प्र.)-486001
33. श्री राम कुमार कोष्टा आत्मज स्व. श्री राम प्रसाद कोष्टा, पी/01, म. नं.-2027, साई कालोनी, संचार नगर, उषा गोदाम के पास, पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड, जबलपुर (म.प्र.)-482002,
34. श्री कपिल कोष्टी आत्मज श्री रमेश प्रसाद कोष्टी, बजरिया वार्ड नं.-03, गड़रयाऊ मुहल्ला, दमोह(म.प्र.)-470661,
35. श्री हरि सिंह आत्मज श्री उदयसिंह, 21, नौखोली, नियर सेन्द्रल लायब्रेरी, विक्रम यूनिवर्सिटी कैम्पस, उज्जैन(म.प्र.)-456010,
36. श्री राजेश पटेल आत्मज श्री दामोदर प्रसाद पटेल, म. नं. 181/1, कमला नेहरू नगर, चेताराम मढ़िया के पीछे, जबलपुर(म.प्र.)-482002,
37. श्री अभय कुमार पाठक आत्मज श्री ओमप्रकाश पाठक, ग्राम व पोस्ट-सिजौरा, तहसील-खरगापुर, जिला-टीकमगढ़(म.प्र.)-472115,
38. श्री कैलाश मरावी आत्मज श्री महासिंह मरावी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, बी-विंग, सेकेंड फ्लोर, विंध्याचल भवन, भोपाल(म.प्र.)-462004,
39. श्री राजेश जाटव आत्मज श्री दिलीप, ग्राम व पोस्ट-मुरैना गॉव, जाटव धर्मशाला के पास, जौरा रोड़, मुरैना(म.प्र.)-476001,
40. श्री विनोद कुमार अहिरवाल आत्मज श्री भूपत अहिरवाल, नया बाजार नं.-3, बड़ा पुल, दमोह (म.प्र.)-470661
41. श्री दीपक बगानिया आत्मज श्री रामचन्द्र बगानिया, ग्राम व पोस्ट-नानूखेड़ा, तहसील-हाटपिपल्या, जिला-देवास (म.प्र.)-455223
42. श्री शरद चंद डेहरिया आत्मज श्री गोप चंद डेहरिया, मु-छोटी पनबिहरी, तह. -लालबर्वा, बालाघाट (म.प्र.)481441
43. श्री विकास लकड़ा आत्मज स्व. श्री बेन्जामिन लकड़ा, म. नं. 3140/1, जे.डी.ए. कॉलोनी के पास, रॉड्री, पी. ओ.- वेस्टलैण्ड, खमरिया, जबलपुर (म.प्र.)-482005,
44. श्रीमती स्वाती गोन्नाडे पिता श्री रमेश गोन्नाडे, म. नं. 9, विनायक नगर, खजराना, इंदौर (म.प्र.)-452016,
45. श्रीमती नेमा कोल पति श्री राजेश कोल, 1603, मुण्डा क्वार्टर केन्द्र, पी.पी. कॉलोनी, ग्वारीघाट रोड़, जबलपुर(म.प्र.)-482008,
46. श्री मुकेश सोलंकी आत्मज श्री मांगीलाल सोलंकी, मु+पो.-कवड़िया, तहसील-महेश्वर, जिला-खरगौन(म.प्र.)-451221,
47. श्री अवधेश सिंह आत्मज श्री चन्द्र बदन सिंह, म. नं. 429, वार्ड नं. 12, विकटगंज, शाहपुरा रोड़, वन नाका, उमरिया(म.प्र.)-484661,
48. श्रीमती पूजा राऊत पति श्री मनोज राऊत, पी.डब्ल्यू.डी. प्लॉट नं. 27, पंचशील नगर, भोपाल(म.प्र.)-462003,


 (भूपेन्द्र कुमार निगम)
 रजिस्ट्रार (प्रशासन)
 १२२

परिशिष्ट-एक
(देखिए पैरा 3 (क))

अनुप्रमाणन फार्म

चेतावनी :

1. अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना अनर्हता मानी जाएगी और ऐसा करने से उम्मीदवार शासन अधीन नियोजन के लिये अनुपयुक्त ठहराया जा सकेगा ।
2. यदि इस फार्म को भरने और भेजने के बाद उम्मीदवार को नजरबंद या गिरफ्तार किया जाता है, अथवा उस पर मुकदमा चलाया जाता है या उसे बंदी बनाया जाता है अथवा उस पर जुर्माना किया जाता है या उसे दोषसिद्ध पाया जाता है, अथवा उसे विवर्जित किया जाता है या दोषमुक्त किया जाता है तो ब्यौरे, यथास्थिति, राज्य लोक सेवा आयोग या उस प्राधिकारी को, जिसे अनुप्रमाणन फार्म पहले भेजा गया हो, तत्काल सूचित किये जाना चाहिए, अन्यथा यह माना जाएगा कि तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है । अतः यह स्वयं उम्मीदवार के हित में होगा कि वह उन मामलों के ब्यौरे प्रस्तुत करें, जिनमें उसे गिरफ्तार किया गया था, उस पर अभियोजन चलाया गया था, आदि भले ही मामले अंतिम रूप से प्रतिवेदित कर गए हों (खात्मा), वापस ले लिये गये हों, या उनमें अन्ततः दोषमुक्ति हो गयी हो या समझौता कर लिया गया हो ।
3. यदि यह तथ्य कि अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी दी गई है या यह कि कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आए तो, उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी ।

1. पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) तथा कुलनाम (सरनेम)नाम
उपनाम, यदि कोई हो (यदि आपने
किसी भी अवस्था में अपने नाम या
कुलनाम में कुछ जोड़ा हो या हटाया
हो तो कृपया उसका उल्लेख कीजिए)

2. वर्तमान पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना तथा जिला या
या घर क्रमांक, गली (मार्ग) सड़क तथा नगर और
राज्य, जिसमें वह स्थित हो)

3.(क) घर का पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना (क)
तथा जिला या घर क्रमांक, गली (मार्ग)
सड़क तथा नगर और जिला मुख्यालय का
नाम और राज्य, जिसमें वह स्थित हो)

(ख) यदि मूलतः पाकिस्तान के निवासी हों तो (ख)
उस देश में आपका पता तथा भारतीय संघ में
प्रवास की तारीख ।

8. (क) जन्म स्थान, जिला तथा राज्य (क)
जिसमें वह स्थित हो;
(ख) वह जिला तथा राज्य जहां के आप (ख)
निवासी हैं.

9. (क) आपका धर्म (क)
(ख) क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित (ख)
आदिम जाति के सदस्य हैं ? हाँ या नहीं
में उत्तर दीजिए और यदि आपका उत्तर
हाँ में हो तो उस जाति विशेष का नाम लिखिए.

10. शैक्षणिक अर्हताएँ :-
वर्ष सहित उन स्थानों के नाम दीजिए जहाँ आपने शालाओं और महाविद्यालयों में 15
वर्ष की आयु से अध्ययन किया हो.

शाला/महाविद्यालय का नाम तथा पूरा नाम (1)	प्रवेश की तारीख (2)	शाला/महाविद्यालय छोड़ने की तारीख (3)	उत्तीर्ण परीक्षा (4)
--	------------------------	--	----------------------------

11. यदि आप कभी नियोजित रहे हों तो तत्संबंधी ब्यौरे दीजिए :-

धारित पद का नाम या कार्य का स्वरूप (1)	अवधि से तक (2)	कार्यालय, फर्म अथवा संस्था का पूरा पता (3)	पिछली सेवा छोड़ने के कारण (4)
--	----------------------------	--	-------------------------------------

12. (क) क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं ? क्या आप पर कभी अभियोजन
चलाया गया है ? क्या आप कभी निरुद्ध किए गए हैं या आपसे मुचलका लिया गया
है/आप पर जुर्माना किया गया है ? क्या आप किसी अपराध के लिए न्यायालय
द्वारा दोषी ठहराये गये हैं या आपको किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा उसके द्वारा
संचालित परीक्षाओं/किए जाने वाले चयनों में सम्मिलित होने से वर्जित किया गया
है/उसके लिए अनर्ह ठहराया गया है या क्या आपको किसी भी विश्वविद्यालय या
किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित
किया गया है/निष्काशित किया गया है ?

पहचान प्रमाण-पत्र

(प्रमाण-पत्र पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी भी एक के हस्ताक्षर होने चाहिए)

- (एक) केन्द्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी.
(दो) संसद या राज्य विधान-मंडल का सदस्य.
(तीन) सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट/अधिकारी.
(चार) तहसीलदार या नायब/उप तहसीलदार, जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हो.
(पाँच) शासकीय तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य तथा प्रमुख.
(छः) खण्ड विकास अधिकारी.
(सात) पोस्ट मास्टर.
(आठ) पंचायत निरीक्षक.

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री/श्रीमती/कुमारी
पिता/पति का नाम श्री को पिछले वर्ष
माह से जानता हूँ तथा उनके द्वारा दिए गए ब्यौरे जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मेरा
विश्वास है, सही है ।

स्थान

हस्ताक्षर

तारीख

पदनाम या स्थिति
तथा पता

(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम

पदनाम और पूरा पता

(दो) वह पद, जिसके लिए उम्मीदवार

के संबंध में विचार किया जा रहा है.
